

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण—पत्र

आवेदन प्रपत्र की कंडिका—8 एंव 9 के आलोक में।

पत्रांक— .....

दिनांक— .....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (छात्रा का नाम)

पिता—..... ग्राम—..... प्रखण्ड—..... थाना—.....

जिला—..... राज्य—झारखण्ड की निवासी है। यह कि छात्रा विद्यालय—.....

..... (विद्यालय का नाम) में कक्षा—..... में नामांकित है। इन्हें

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधी सत्यापन

प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है।

#### **प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर**

प्रधानाचार्य का नाम .....

विद्यालय का नाम .....

प्रखण्ड .....

जिला .....